# संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़ <br> (दूरभाष कमांक 0771-2221640.42) <br> विज्ञप्ति 

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर में शिक्षक संवर्ग के निम्नलिखित रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शासकीय शिक्षकों/अन्य अर्हताधारी उम्मीदवारों से जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है, से आवेदन पत्र दिनांक 15.3.2017 तक "संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक, चिकित्सा यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष ), पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस.भवन के पास रायपुर (छ.ग.) 492001" में आमंत्रित किये जाते हैं :-

| कमांक पदनाम विषय रिक्तियां | मासिक समेकित <br> वेतन |
| :--- | :---: | :---: |


| 1. स्रोफेसर | संहिता सिद्धांत <br> रचना शरीर | 01 अजजा |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| द्वव्यगुण | 01 अजजा |  |  |
| रोग निदान एवं विकृति विज्ञान | 01 अजजा | 01 अजजा |  |
| रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना | 01 अजजा |  |  |
| प्रसूति एवं स्त्री रोग | 01 अजजा | $80,000 /-$ |  |
| काय चिकित्सा | 01 अनारक्षित | 01 अजजा |  |
|  | 01 अनारक्षितं |  |  |
| शल्य तंत्र | 01 अजजा |  |  |
|  | 01 अनारक्षित |  |  |
| पंचकर्म | 01 अजजा |  |  |

2. रीडर
रचना शरीर
किया शरीर
स्वस्थवृत्त
अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद
कौमारभृत्य
शल्य तंत्र
शालाक्य तंत्र
रोग निदान एवं विकृति विज्ञान

01 अजजा
01 अनारक्षित
01 अनारक्षित
01 अनारक्षित 52,000 /-
01 अनारक्षित
01 अनारक्षित
02 अनारक्षित
01 अनारक्षित
3. व्याख्याता
संहिता सिद्धांत
रचना शरीर
द्रव्यगुण
प्रसूति एवं स्त्री रोग
स्वस्थवृत्त
अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद
कौमारभृत्य

काय चिकित्सा
शल्य तंत्र
01 अनारिक्षत
रचना शरीर
01 अपिव
द्रव्यगुण एवं स्त्री रोग
02 अजजा

स्वस्थवृत्त
02 अजजा
01 अपिव
01 अपिव
01 अजजा
01 अपिव
01 अपिव
शालाक्य तंत्र 01 अजजा
रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना
01 अजजा
पंचकर्म 01 अजजा
f. शैक्षणिक अर्हता :(समस्त पदों हेतु)

1. अनिवार्य
2. अनुभव
-2-
(क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।
(ख) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची में सम्मिलित संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।
(ग) विधि द्वारा स्थापित किसी आयुर्वेद मण्डल में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि का पंजीकरण ।
प्रोफेसर के लिए :- संबंधित विषय में कुल दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा संबंधित विषय में सह-आचार्य (प्रवाचक) के रूप में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम पांच शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल दस वर्षों का अनुसंधान अनुभव।
रीडर के लिए :- संबंधित विषय में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषद्ं अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल पांच वर्षों का अनुसंधान अनुभव। व्याख्याता के लिए :-आयुर्वेद में डॉक्टरेट उपाधि धारक को प्राथमिकता दी जाएगी।

टीप :- 1. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हताधारक अभ्यर्थी के अभाव में निम्नलिखित विषयों के अभ्यर्थी जैसा कि उनके सामने उल्लिखित समवर्गी विषयों में स्नातकोत्तर अर्हता धारक अभ्यर्थी व्याख्याता अथवा सहायक आचार्य, प्रवाचक अथवा सह-आचार्य तथा प्राध्यापक के पद हेतु पात्र होंगे :-

| आवश्यक विशिष्टता | समवर्गी विषय का नाम |
| :---: | :---: |
| स्वास्थ्वृत्त | कायचिकित्सा |
| अगदतंत्र | द्रव्यगुण या रसशास्त्र |
| रोग विज्ञान | कायचिकित्सा |
| रचना शारीर | शल्य |
| किया शारीर | आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त अथवा काय चिकित्सा |
| शालाक्य | शल्य |
| पंचकर्म | काय चिकित्सा |
| बालरोग/कौमारभृत्य कायचिकित्सा | प्रसूति एवं स्त्रीरोग अथवा काय चिकित्सा मानसरोग |
| शल्य | निश्चेतन एवं क्ष- किरण |
| प्रसूति एवं स्त्री रोग | शल्य तंत्र |

$2 /-$ संविदा नियुक्ति 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले हो तक के लिए की जावेगी। विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संविदा पर नियुक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर नवीनीकरण किया जा सकेगा।

3/- 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त शिक्षक संविदा नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें।
4/- संविदा नियुक्ति सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व धारित पद के समकक्ष पद पर ही की जावेगी तथा शैक्षणिक अर्हता आदि का बंधन नहीं होगा।
5/- मासिक समेकित एक मुश्त संविदा वेतन देय होगा । उक्त वेतन से पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत को घटाया नहीं जावेगा ।
6/- सेवानिवृत्त आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न भेजना होगा तथा स्कूटनी/साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा :-
(1) सेवानिवृत/भारमुक्त होने का आदेश जिसमें पद एवं विषय़ का स्पष्ट उल्लेख हो ।
(2) सेवानिवृत के पूर्व नियोक्ता का नाम व पूरा पता व दूरभाष क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख हो ।
(3) विभागीय जांच, अभियोजन लंबित होने, सेवा में रहते हुए अंतिम वर्ष में दण्डित न होने,पेंशन रोकने के दण्ड से दण्डित न होने, आदि के संबंध में अभ्यर्थी को 50 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
(4) यदि सेवा से पदच्युत किया गया हो अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति ली गई हो तो इसका स्पष्ट उल्लेख करें।
7/- अन्य अर्हताधारी उम्मीदवारों से जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है, को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न भेजना होगा तथा स्कूटनी / साक्षात्कांर के समय मूंल दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा :-
(1) छ.ग. के मूल निवासियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
(2) जन्म तिथि हेतु दसवीं /बारहवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र
(3) स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्रमाण-पत्र
(4) अनुभव प्रमाण पत्र (प्रोफेसर एवं रीडर पद हेतु)
(5) स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का पंजीयन प्रमाण- पत्र
(6) आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र

8/- उपरोक्त नियुक्तियां मान्उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका रिट पिटीशन क्रमांक(सी.) 591/2012, $592 / 2012,593 / 2012$ एवं $594 / 2012$ में मान्.उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्यधी़न होगी ।

